Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Revision No.- 50/2020

Nutan Kumari .... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors .... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.07.2023	**आदेश** प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा आँगनबाड़ी अपील सं0—59/2018—19 में दिनांक 19.02.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। सुनवाई की तिथि को आवेदिका का समयावेदन है तथा विपक्षी सं0—5 (रंजना कुमारी) के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी को सुना। आवेदिका द्वारा समर्पित पुनरीक्षण ज्ञाप का अवलोकन किया। पुनरीक्षण ज्ञाप, निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सभी कागजातों तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के बहस से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामला समाज कल्याण विभाग (I.C.D.S. निदेशालय), बिहार, पटना के पत्रांक 990 दिनांक—05.04.2016 के आलोक में मार्गदर्शिका—2016 में निरूपित प्रावधानों के अंतर्गत सेविका/सहायिका चयन की प्रक्रिया संपन्न की गई है। ''वस्तुतः वर्ष 2016 में निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका—12 में स्पष्ट उल्लेख है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध कंडिका—13 (अपील) में 30 दिनों के भीतर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।'' अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को इस न्यायालय में क्षेत्राधिकार से परे एवं पोषणीय नहीं (Not Maintainable) पाते हुए मामले के गुण—दोष (Merit) पर बिना विचार किये अस्वीकृत किया जाता है। आवेदिका यदि चाहे तो मामले के विचारण/निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।	

Web Copy Not Official.

		आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.